न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 102/2017 (223 आरटीए) सुखराम वगै. बनाम मूलाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00119)

1 सुखराम पुत्र चैनाराम,
2 गैरा पत्नी श्री धनाराम,
3 भाखरराम पुत्र श्री धनाराम,
4 सहीराम पुत्र श्री धनाराम,
5 लूणाराम पुत्र श्री धनाराम के कायम मुकाम
5/1 किशनाराम पुत्र श्री लूणाराम,
5/2 धनी पत्नी श्री लूणाराम,
6 सुण्डाराम पुत्र श्री हरचंदराम,
7 बलवंताराम पुत्र श्री हरचंदराम,
8 बगडूराम पुत्र श्री हरचंदराम,
9 तेजाराम पुत्र श्री हरचंदराम,
10 हीराराम पुत्र श्री हरचंदराम,
11 फगलूराम पुत्र श्री बगताराम,
12 लालूराम पुत्र श्री बगताराम,
13 बीरबलराम पुत्र श्री बगताराम,
14 प्रहलादराम पुत्र श्री बगताराम,
15 धुड़ाराम पुत्र श्री कानाराम,
16 बुधरराम पुत्र श्री कानाराम,
17 पांचाराम पुत्र श्री कानाराम,
18 अमराराम पुत्र श्री कानाराम,
19 फगलूराम पुत्र श्री कानाराम,
20 सुरताराम पुत्र श्री कानाराम,
21 रामचंन्द्र पुत्र श्री कानाराम,
22 भाखरराम पुत्र श्री कानाराम के कायम मुकाम,
22/1 मनोरी पत्नी श्री भाखरराम,
22/2 महीराम पुत्र श्री भाखरराम,
22/3 श्रवण पुत्र श्री भाखरराम,
22/4 अशोक पुत्र श्री भाखरराम,
23 चौखाराम पुत्र श्री सावंताराम के कायम मुकाम
23/1 सुवटी पत्नी श्री चौखाराम,
23/2 बगडूराम पुत्र श्री चौखाराम,
23/3 भरमलराम पुत्र श्री चौखाराम,

17/7 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

23/4 हरभजराम पुत्र श्री चौखाराम,
23/5 सोहनराम पुत्र श्री चौखाराम,
23/6 समदा पुत्री श्री चौखाराम,
23/7 हीरो पुत्री श्री चौखाराम,
23/8 रोशनी पुत्री श्री चौखाराम,
24 लालाराम पुत्र श्री सांवताराम,
25 कुशला पुत्र श्री सावंताराम,
26 नरसिंहराम पुत्र श्री खमुराम,
27 धनाराम पुत्र श्री खमुराम,
28 बालकिशन पुत्र श्री हरदासराम,
29 पूनमचंद पुत्र श्री हरदासराम,
30 श्रीराम पुत्र श्री हरदासराम,
31 नारायणराम पुत्र श्री हुकमाराम,
32 अर्जुनराम पुत्र श्री हुकमाराम,
33 जोराराम पुत्र श्री हुकमाराम,
34 फगलूराम पुत्र श्री भीयाराम,
35 धीमाराम पुत्र श्री लाखाराम,
36 मोहनराम पुत्र श्री लाखाराम,
37 भजनाराम पुत्र श्री लाखाराम,
38 मोहनराम पुत्र श्री धूड़ाराम,
39 मगाराम पुत्र श्री धूड़ाराम,
40 लूंगा पत्नी श्री अजुर्नराम,
41 महीपाल पुत्र श्री अर्जनुराम,
42 अशोक कुमार पुत्र श्री अर्जनराम,
43 शिवप्रताप पुत्र श्री अर्जनराम,
44 सुनील कुमार पुत्र श्री अर्जनराम,
45 पुखराज पुत्र श्री अर्जनराम,
46 ओमप्रकाश पुत्र श्री अजुनराम

सभी जाति विश्नोई निवासी खारा तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

.... अपीलांट्स

बनाम

1 मूलाराम पुत्र श्री कुंभाराम,
2 भीयाराम पुत्र श्री कुंभाराम,
3 भाखरराम पुत्र रामुराम के कायम मुकाम,
3/1 पेम्पा पत्नी स्व. श्री भाखरराम,

17/7 राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर

3/2 बाबूराम पुत्र भाखरराम के कायम मुकाम
3/2/1 कमला पत्नी स्व. श्री बाबूराम,
3/2/2 सुभाष पुत्र स्व. श्री बाबूराम उम्र 17 वर्ष अवयस्क,
3/2/3 मनीष पुत्र स्व. श्री बाबूराम उम्र 15 वर्ष अवयश्क,
3/2/4 गुड्डी पुत्री स्व. श्री बाबूराम उम्र 13 वर्ष अवश्यक,
3/3 श्रवण पुत्र स्व. श्री भाखरराम,
सभी जाति विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी सांवरीज, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

4 जीयाराम पुत्र श्री रामूराम
5 सोनाराम पुत्र श्री रामुराम
सभी जातियान विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी सांवरीज तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
5 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार फलोदी जिला जोधपुर।
6 मैनेजर थार आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा सांवरीज तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी
दिनांक 08.08.2017 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 301/2012

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री बुधराम गोदारा।
2 रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया।
3 रेस्पोडेंट्स सं. 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 रेस्पो. सं. 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 17.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर फलोदी के राजस्व वाद सं. 301/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी के समक्ष धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

17/7
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पो. सं. 1 से 5 की ओर से राजस्व वाद सं. 301/2012 पेश कर निवेदन किया कि मूल गांव सांवरीज नया राजस्व गांव उदाणियों की ढाणी तहसील फलोदी की सरहद में वादीगण की खातेदारी की कब्जाशुदा भूमि खसरा नं. 51 रकबा 167 बीघा 19 बिस्वा, व खसरा नं. 51/1 रकबा 168 बीघा जो मूल खसरा नं. 51 से बना है। मूल गांव खारा के नवसृजित गांव दयासागर की सरहद में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण सं. 1 से 46 की खातेदारी भूमि मूल खसरा नं. 747 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा खसरा नं. 748 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा नं. 749 रकबा 289 बीघा 11 बिस्वा था उक्त खसरों अलग–अलग विभाजन करके खातेदार अपीलार्थी/प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं।

गांव सांवरीज व गांव खारा दोनों गांवों की सीमाएं मिलती हैं जिस पर रेस्पोडेंट्स ने अपीलार्थीगण की भूमि को अपनी बताते हुए खातेदार घोषित करने के लिए वाद दायर किया तथा रेस्पोडेंट्स की कोई भूमि नहीं हैं तथा अपीलार्थीगण ने अपनी भूमि को उपजाउ बनाकर उसमें पानी के टांके, रहवासीय ढाणियां भी बना कर अपने परिवार सहित रहते आ रहे हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने द्वारा बिना जांच किए उक्त भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है जिस पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश दिनाक 08.08.2017 के द्वारा रेस्पोडेंट्स का वाद आंशिक स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाददर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री बुधराम गोदारा ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर विधिक त्रुटि एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। वादग्रस्त भूमि अपीलार्थीगण के नाम वक्त सेटलमेंट से दर्ज है, विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई आधार के रेस्पोडेंट्स को खातेदार घोषित किया है। जबकि उक्त भूमि अपीलार्थीगण के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज थी इस प्रकार पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय तनकीयात कायम नहीं की हैं तथा निर्णय तनकीवार विवेचन कर पारित करना था जो नहीं किया है अतः निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अपीलार्थीगण वक्त सेटलमेंट से अपने खेत खसरा नं. 747, 748 व 749 पर निरंतर रूप से काबिज काश्त हैं फिर भी रेस्पोडेंट्स द्वारा सीमा के बिना ओवरलेप होते

हुए भी ओवरलेप बता रहे हैं इस प्रकार अपीलार्थीगण ने अपने काउंटर क्लेम किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुने निर्णय पारित किया है जो अपास्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अंतिम डिक्री के लिए तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट तैयार करवाई जिस पर अपीलार्थीगण को कोई सूचना नहीं लगने दी व मौके पर तहसीलदार व पटवारी भी नहीं गए, कर्मचारियों ने रेस्पोडेंट्स से मिलावट करके मौका रिपोर्ट तैयार की व अंतिम डिक्री का रूप दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के साक्ष्य पर कोई विवेचन किए वगैर निर्णय पारित किया है तथा इस प्रकार बनावटी तरीके से पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाने योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया।

अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपील पेश करने में देरी हुई जिसको कंडोन करने के लिए धारा–5 का प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने उक्त निर्णय होने की जानकारी अपीलांट्स को नहीं दी तथा दिनांक 04.09.2017 को जब अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय हो गया है जिस हेतु नकल का आवेदन किया जिस पर दिनांक 04.09.2017 को नकल मिलने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हुई एवं जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मियाद है। अतः धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया ने बहस में कथन किया कि विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा ग्राम खारा में अधिक दर्ज विवादित 97 बीघा 9 बिस्वा रकबा को ग्राम खारा के क्षेत्रफल में से तथा अपीलांट्स/प्रतिवादी सं. 1 से 46 की खातेदारी में से कम नहीं करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। रेस्पोडेंट्स/वादीगण की ओर सेटलमेंट टीम की पैमाइस रिपोर्ट दिनांक 24–25.01.2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि अपने सबूत के तौर पर प्रस्तुत की गई तथा उक्त पैमाइस रिपोर्ट में ग्राम खारा के सेटलमेंट में खसरा नं. 747, 748 व 749 में से कुल 97 बीघा 9 बिस्वा रकबा गलती से अधिक दर्ज होना पाया गया है। उक्त पैमाइस रिपोर्ट विद्वान सहायक कलेक्टर की पत्रावली पर मौजूद है जिससे ग्राम खारा नवसृजित गांव दयासागर में स्थित अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की वादग्रस्त भूमि का 97 बीघा 9 बिस्वा अधिक दज हो जाना साबित है। जिसके अनुसार रिकार्ड दुरस्ती का आदेश दिया जाना विवाद के समुचित हल के लिए विद्वान सहायक कलेक्टर के लिए आवश्यक था इस कारण

गलती से अपीलांट्स/प्रतिवादीगण की खातेदारी में अधिक दर्ज 97 बीघा 9 बिस्वा रकबा को कम कर रिकार्ड दुरस्ती किया जाना आवश्यक है। इस कारण अपीलार्थीगण वादीगण के पक्ष मे रिकार्ड दुरस्ती का वाद डिक्री किए जाने योग्य है। अतः निवेदन किया कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को संशोधित करने का आदेश फरमाया जावे।

6 रेस्पो. सं. 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित प्रभावित नहीं हो रहा है अतः प्रकरण के गुणावगुण के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने में देरी हुई जिसको कंडोन करने के लिए धारा–5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने उक्त निर्णय होने की जानकारी अपीलांट्स को नहीं दिए जाने का उल्लेख किया है तथा दिनांक 04.09.2017 को जब अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय हो गया है जिस हेतु नकल का आवेदन किया जिस पर दिनांक 04.09.2017 को नकल मिलने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हुई एवं जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मियाद बताई है। दूसरी ओर रेस्पोडेंट्स के अविवक्ता ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत धारा–5 के तथ्यों का खण्डन नहीं किया है। अतः धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9 अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व वाद संख्या 301/2012 में वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया है जिसका आधार यह लिया है कि वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के साथ वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 51 रकबा 167 बीघा 19 बिस्वा ग्राम उदाणियों की ढाणी की जमाबंदी पेश की है जो प्रदर्श–2 व 3 है के अनुसार उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी अधिकारों की साबित है। तथा जिसकी ताईद गवाह पीडब्लू–1 व पीडब्लू–2 भी करते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में प्रतिवादीगण के खसरा नं. 747, 748, 748/1, 748/2, 749, 749/1, 749/2, 749/3, 749/4 की भूमि की जमाबंदी भी संलग्न है जो प्रदर्श–5 से 14 हैं के अनुसार उक्त भूमियां प्रतिवादीगण के खातेदारी की हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचन किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र साक्ष्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित नहीं हैं कि प्रतिवादीगण के उक्त खसरान के रकबा 40 बीघा पर वादीगण का कब्जाकाश्त हो एवं

17/7 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

उक्त खसरा में से प्रत्येक में से कितना–कितना रकबा कुल 40 बीघा किस–किस स्थान पर वादीगण का कब्जा काश्त है एवं ग्राम सांवरीज का रकबा कम किया जाकर ग्राम खारा का रकबा वृद्धि किया जाना भी संभव नहीं बताया है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया जिसमें केवल ग्राम उदाणियों की ढाणी के खसरा नं. 50 रकबा 167 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नं. 51/1 रकबा 168 बीघा भूमि वादीगण को जमाबंदी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया है।

इस न्यायालय की राय में अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि वादीगण तो जमाबंदी के अनुसार पहले से ही खातेदार हैं जिसको पुनः घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। दावे के अनुसार वादी मूलाराम ने गांव सांवरीज व गांव खारा की विवादित भूमि की पैमाइस भू–प्रबंध विभाग द्वारा टीम गठित करवाने का आदेश राजकोष में 6600/– जमा कर प्राप्त करके दिनांक 24–25.01.2011 को पैमाइस करवाई। जिसकी रिपोर्ट ग्राम सांवरीज की वादीगण भूमि खसरा नं. 51, 51/1 वादीगण के मौके के कब्जे व नक्शे अनुसार बिलकुल सही पाई गई। इस प्रकार गांव खारा नया ग्राम दया सागर के कुल रकबा में से अधिक रकबा कम किया जाकर हटवाए जाने का प्रकरण है। वादीगण ने इस रकबे को केवल प्रतिवादीगण की खातेदारी में से कम करवाकर रिकार्ड दुरस्ती करवाने का अपना दावा गलत रूप से पेश किया है जिसे उन्होंने साक्ष्य व दस्तावेज से सिद्ध भी नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह रिलीफ नहीं दी है जो उचित है।

प्रकरण के तथ्यों व भू–प्रबंध विभाग की गठित टीम द्वारा दिनांक 24–25.01.2011 को पैमाइस करके तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण एक गांव से रकबे को कम करने का है जैसाकि मौका रिपोर्ट दिनांक 24–25.1.2011 में उल्लेख है कि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नक्शानुसार ही है। लेकिन जब ग्राम खारा के उपलब्ध नक्शा से खसरा नं. 729 के कोने से ग्राम सांवरीज के नेखम सं. 10 तक नाप किया तो ग्राम सांवरीज के नक्शे से कायम किए गए चिन्ह से खसरा नं. 51 के अंदर लगभग 8 जरीब चला जाता है। जबकि ग्राम सांवरीज के नेखम सं. 8 ग्राम खारा व सांवरीज दोनों गांवों के नक्शे से एक ही स्थान पर आता है। ग्राम सांवरीज की नक्शा की नकल से नेखम संख्या 7 से 13 तक का ट्रेस तैयार कर ग्राम खारा के नक्शे की नकल पर नेखम संख्या 7 व 8 पर जमाने से लाल स्याही से दर्शायी गई लाइन व मूल नक्शे की लाइन के बीच का भाग सरहद का ओवरलेपिंग आता है। जो दोनों ही गांव में वक्त सेटलमेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सामिल कर दिया है। जो एक गांव में से कम किया जाए तो तो ही मौका व नक्शा एक हो सकता है।

इस प्रकरण में सेटलमेंट की टीम ने ग्राम खारा के खसरा नं. 729 के कोने से पैमाइस की है जिससे सरहद की नाप गांव सांवरीज के 97 बीघा 9 बिस्वा रकबे तक चली जाती है इससे यह स्पष्ट होता है कि गांव खारा के खसरा नंबरान की नक्शा ट्रेस में लोकेशन व रकबा त्रुटिपूर्ण है जिसको शुद्ध किया जाना है। जिसके लिए पक्षकारान सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2017 निरस्त किए जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00119)

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.सुखराम पुत्र श्री चैनाराम		1.मूलाराम पुत्र श्री कुभाराम
2.गैरा पत्नी श्री धनाराम	बनाम	2.भीयाराम पुत्र श्री कुंभाराम
3.भाखरराम पुत्र श्री धनाराम		3.भाकरराम पुत्र श्री रामुराम क कायम मुकाम
4.सहीराम पुत्र श्री धनाराम		3/1 पेम्पा पत्नी स्व.श्री भाखरराम
5.लूणाराम पुत्र श्री धनाराम		3/2/ बाबूराम पुत्र भाखरराम के कायम मुकाम
5/1.किशनाराम पुत्र श्री लूणाराम		3/2/1 कमला पत्नी स्व श्री बाबूराम
5/2.धनी पत्नी श्री लूणाराम		3/3/2सुभाष पुत्र स्व श्री बाबूराम
6.सुण्डाराम पुत्र श्री हरचंदराम		3/4/3 मनीष पुत्र स्व.श्री बाबूराम
7.बलवंताराम पुत्र श्री हरचंदराम		3/5 /4गुड्डी पुत्री स्व. श्री बाबूराम
8.बगडूराम पुत्र श्री हरचंदराम		3/3 श्रवण पुत्र स्व. श्री भाखरराम
9.तेजाराम पुत्र श्री हरचंदराम		सभी जाति विश्नोई निवासी उदावियों की ढाणी सांवरीज
10.हीराराम पुत्र श्री हरचंदराम		तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
11.फगलूराम पुत्र श्री बगताराम		4. जीयाराम पुत्र श्री रामूराम
12.लालूराम पुत्र श्री बगताराम		5.सोनाराम पुत्र श्री रामूराम
13.बीरबलराम पुत्र श्री बगताराम		सभी जाति विश्नोई निवासी उदावियों की ढाणी सांवरीज
14.प्रहलादराम पुत्र श्री बगताराम		तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
15.धुडाराम पुत्र श्री कानाराम		6.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार फलोदी जिला
16.बुधरराम पुत्र श्री कानाराम		जोधपुर।
17.पांचाराम पुत्र श्री कानाराम		7.मैनेजर थार आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा सांवरीज
18.अमराराम पुत्र श्री कानाराम		तहसील जिला जोधपुर।
19.फगलूराम पुत्र श्री कानाराम		
20.सुरताराम पुत्र श्री कानाराम		
21.रामचंन्द्र पुत्र श्री कानाराम		
22.भाखरराम पुत्र श्री कानाराम के कायम मुकाम		
22/1मनोरी पत्नी श्री भाखरराम		
22/2महीराम पुत्र श्री भाखरराम		
22/3श्रवण पुत्र श्री भाखरराम		
22/4 अशोक पुत्र श्री श्री भाखरराम		
23 चौखाराम पुत्र श्री सांवताराम के कायम मुकाम		
23/1सुवटी पत्नी श्री चौखाराम		
23/2बगडूराम पुत्र श्री चौखाराम		
23/3भरमलराम पुत्र श्री चौखाराम		
23/4 हरभजराम पुत्र श्री चौखाराम		
23/5 सोहनराम पुत्र श्री चौखाराम		
23/6समदा पुत्री श्री चौखाराम		
23/7 हीरो पुत्री श्री चौखाराम		
24/8 रोशनी पुत्री श्री चौखाराम		
24 लालाराम पुत्र श्री सांवताराम		
25 कुशला पुत्र श्री सांवताराम		
26.नरसिंहराम पुत्र श्री खमुराम		
27 धनाराम पुत्र श्री खमुराम		
28.बालकिशन पुत्र श्री हरदासराम		
29पूनमचंद पुत्र श्री हरदासराम		
30श्रीराम पुत्र श्री हरदासराम		
31नारायणराम पुत्र हुकमाराम		
32 अर्जुनराम पुत्र हुकमाराम		

35.धीमाराम पुत्र लाखाराम 36मोहनराम पुत्र लाखाराम 37भजनाराम पुत्र लाखाराम 38मोहनराम पुत्र धूडाराम 39मगाराम पुत्र धूडाराम 40लूंगाराम पुत्र धूडाराम 41महीपाल पुत्र अर्जुनराम 42अशोक कुमार पुत्र अर्जुनराम 43शिवप्रताप पुत्र अर्जुनराम 44सुनील कुमार पुत्र अर्जुनराम 45पुखराज पुत्र अर्जुनराम 46ओमप्रकाश पुत्र श्री अर्जुनराम सभी जाति विश्नोई निवासी खारा तहसील फलोदी जिला जोधपुर।		

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिक्री सहायक कलेक्टर,फलोदी दिनांक 08.08.2017 अन्तर्गत राजस्व वाद सं 301/2012

यह अपील बतारीख 17/07/2018 बहाजरी अधिवक्ता श्री बुधराम गोदारा एवं रेस्पोडेंट की ओर से श्री लादूराम पूनिया एवं रेस्पो सं.6की ओर से अधिवक्ता राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी,व रेस्पो सं. 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर,फलोदी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2017 निरस्त किए जाते है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ......00.......) रूपये ....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का ....00....... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 17.07.2018 को जारी हो किया गया।

17/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा मीजान	

17/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर